

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) जी-59/2023/अलेसे-III/959

दिनांक:- 27/02/2026

कार्यालय आदेश

श्री घनश्याम अवस्थी, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 742911) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर को कोषाधिकारी, अलवर के पत्र दिनांक 31.01.2026 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 08.04.2025 से 09.04.2025 कुल (02 दिवस) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री घनश्याम अवस्थी, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।  
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई) जी-59/2023/अलेसे-III/959

दिनांक:- 27/02/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कोषाधिकारी, अलवर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री घनश्याम अवस्थी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी, अलवर।
- 5 रक्षित/निजीपत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal  
Designation: Joint Director  
Date: 2026.02.26 16:27:35 IST  
Reason: Approved



HajKa, Ref No.  
20674035

eSign 1.0